न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 10/2018

1. बलदेवसिंह पुत्र बहादरसिंह
2. जसपाल कौर पत्नी निर्मलसिंह पुत्र बहादरसिंह
3. मनजिन्द्रसिंह पुत्र निर्मलसिंह
4. हरविन्द्रसिंह पुत्र निर्मलसिंह
5. परविन्द्र कौर पत्नी मंगलसिंह पुत्री निर्मलसिंह

जाति कम्बो सिख निवासी 48 जीबी तह0 श्रीविजयनगर।

6. अंग्रेजसिंह पुत्र बहादरसिंह
7. हरमेजसिंह पुत्र बहादरसिंह
8. जरनैलसिंह पुत्र बहादरसिंह
9. सलवन्त कौर पत्नी भजनसिंह पुत्री बहादरसिंह
10. कलवन्त कौर पत्नी बचनसिंह पुत्री बहादरसिंह
11. बलवन्तकौर पत्नी बलदेवसिंह पुत्री बहादरसिंह

जाति कम्बो सिख निवासी 48 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जरिये मु0आम बलदेवसिंह पुत्र बहादरसिंह ।

—अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर। —रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधि.1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर दिनांक 26.12.2017

उपस्थितिः–

श्री राजेश गुम्बर अभिभाषक अपीलार्थी

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :–** 17.04.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष एक प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि बहादरसिंह को चक 48 जीबी के मु.नं. 46 के कि.नं. 1 से 13 की 12.13 बीघा

17/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

भूमि पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटन की गई थी जिसका विवाद कस्टोडियन भूमि होने के नाते चला एवं मुरलीधर नाम के व्यक्ति ने भी विवाद किया जो अब समाप्त हो गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पास सीलिंग सीमा से ज्यादा भूमि नहीं है। प्रार्थीगण उक्त भूमि को आवंटन कराने की पात्रता रखते हैं। अतः उक्त भूमि प्रार्थीगण को आवंटित की जावे। प्रा.पत्र पेश होने पर अधी. न्यायालय ने दिनांक 15.11.2017 को पत्रावली कायम कर विवादित भूमि से सम्बन्धित पत्रावलीयां एवं निर्णय आदि के साथ पेश होने के साथ पेश होने के आदेश दिये। तत्पश्चात दिनांक 26.12.2017 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा बिना जांच किये, बिना रिकार्ड तलब किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट की पात्रता के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की और न ही कोई रिकार्ड तलब किया गया। अधी. न्यायालय द्वारा कयास के आधार पर आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए आवंटन हेतु प्रकरण अधी. न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रा.पत्र के साथ एवं अपील के साथ अपीलांट ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे वह आवंटन की पात्रता रखते हों। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

17/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/अपीलांट्स ने विवादित आराजी के आवंटन हेतु प्रा.पत्र प्रस्तुत कर आवंटन का जो अनुतोष चाहा था, प्रा.पत्र पेश होने पर अधी. न्यायालय ने सम्बन्धित पत्रावलियां एवं निर्णय के साथ पेश होने के आदेश दिये। उक्त पत्रावलियां संलग्न हुई या नहीं इसका कोई उल्लेख पत्रावली पर नहीं है। प्रा.पत्र पेश होने पर अपीलांट्स को आवंटन किया जा सकता था या नहीं गुणावगुण के आधार पर निर्णय अपेक्षित था परन्तु अधी. न्यायालय द्वारा सन्दर्भ प्रा.पत्र के गुणावगुण पर विवेचन किये बिना मात्र अन्य निर्णयों का हवाला देकर अपीलांट्स का प्रा.पत्र खारिज कर दिया जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अधी. न्यायालय अपीलांट्स की आवंटन की पात्रता का परीक्षण करें एवं नियमों की परिधि में अगर अपीलांट आवंटन का पात्र पाया जाता है तो गुणावगुण के आधार पर सम्बन्धित रिकार्ड तलब कर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर